न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 8/2021 (डूंगरपुर डिक्री)

1. मनजी पिता मदरूपा खांट, जाति मीणा, निवासी पीठ (मृतक) के बजाय :–

1/1. शंकर पिता मनजी खांट, जाति मीणा, निवासी पीठ, तहसील सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

1/1. मणीलाल पिता मनजी खांट, जाति मीणा, निवासी पीठ, तहसील सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

1/1. श्रीमती केसर पुत्री मनजी खांट, जाति मीणा, निवासी पीठ, तहसील सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

1/1. श्रीमती सोमी पत्नि मनजी खांट, जाति मीणा, निवासी पीठ, तहसील सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती पूँजी पुत्री वजा कटारा, जाति मीणा पत्नि नाथु बरण्डा मीणा, निवासी पीठ, तहसील सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. लैण्ड होल्डर भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा
दिनांक 26.03.2021 प्र.सं. 39/2020

---/---

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री ए. मंसूरी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री डी.सी. चौबीसा अभिभाषक रे. सं. 1
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

---::---

निर्णय **दिनांक 07–03–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया के पिता वजा जी होकर उनके कोई पुत्र नहीं होने से वादिया स्वर्गीय वजा की जायदाद की एक मात्र वारिस होकर मालिक व काबिज है। वजा जी के खातेदारी की आराजी नंबर 2996 से 3000 कुल किता 5 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है, जिस पर वादिया काबिज चली आ रही है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:01 IST
Reason: SelfAttested

भू प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

आराजियात से प्रतिवादी संख्या 1 का कोई संबंध नहीं है, किन्तु वादिया की मृत्यु पश्चात् राजस्व कर्मचारियों की भूल से उक्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित हो गयी, जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 जबरन अतिक्रमण कर विक्रय करने पर उतारू हैं। अतः वादिया का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसका जवाबुल जवाब वादिया द्वारा पेश किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में 3 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 26–03–2021 से वादिया का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का खातेदार घोषित करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 21–06–2021 को यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री डी. सी. चौबीसा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से श्री पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्टगण ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 03–05–2021 को कोविड 19 के तहत राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा न्यायालय कार्य स्थगित होने के कारण प्रकरण में विलम्ब हुआ है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर बहस पर मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय [illegible] मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने [illegible] मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बता[illegible] कि वादिया/रेस्पोन्डेन्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:01 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

पिता वजा जी की पत्नी का स्वर्गवास हो जाने से प्रतिवादी/अपीलान्ट के पिता मनजी की माता से नाता विवाह किया तथा मनजी वजा जी के साथ ही निवास करते थे तथा वजा जी की सेवा चाकरी की, जिससे खुश होकर वजा जी ने एक वसीयतनामा दिनांक 11–01–1984 को मनजी के पक्ष में निष्पादित कर दिया तथा वादिया/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा दिनांक 18–05–1986 को एक सहमति पत्र अपीलान्ट के पिता के पक्ष में निष्पादित कर दिया, जिससे मनजी के नाम खाता कायम हुआ, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने प्रदर्श ए–1 व ए–2 पर विश्वास नहीं कर वादिया/रेस्पोन्डेन्ट का वाद डिकी करने में भारी भूल की है। अपीलान्ट के पिता के नाम जो नामान्तरकरण संख्या 628 स्वीकृत हुआ है उसमें सहमति इकरार का स्पष्ट अंकन है। सहमति इकरार पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात ही वसीयतनामे के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा जांच की जाकर नामान्तरकरण प्रमाणित किया है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि वादिया/रेस्पोन्डेन्ट वजा जी पुत्री होने से उसका जन्म से अधिकार है। बेटियों का पैत्रृक सम्पत्ति में जन्म से हक अधिकार होता है, इस संबंध में न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2023 (1) पेज 458 एवं आर.आर.टी. 2023 (1) पेज 648 प्रस्तुत की। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी को विधि अनुरूप है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकीवार अपने विस्तृत विवेचन में यह स्पष्ट अंकित किया है कि प्रतिवादी ने अपनी लिखित साक्ष्य एवं जवाबदावे में स्वर्गीय वजा द्वारा प्रदर्श ए–1 वसीयतनामा सम्पादित करने का कथन किया है, जबकि प्रतिवादी स्वयं मनजी तथा उसके साक्षियों ने इस प्रलेख को गोदनामा लिखा जाना बताया है तथा इकरारनामा जो कि पूंजी के द्वारा हकत्याग का प्रदर्श ए–2 है, उसको लिखने वाला साक्षी विक्रमसिंह गोदनामा मनजी के पक्ष में लिखवाने का कथन किया है। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य व लिखित प्रलेखीय साक्ष्य [illegible]क विरोधाभाष होने से विश्वास किये जाने योग्य [illegible] संदेहास्पद हैं। प्रदर्श ए–1 वसीयतनामा [illegible] में प्रतिवादी असफल रहा है और प्रतिवादी तथा उसके सा[illegible] के बयान से स्पष्ट रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:01 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
उदयपुर

अ-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

से वसीयतनामा नहीं होकर गोदनामा सम्पादित करने का बयान किया गया है और प्रतिवादी द्वारा गोद पुत्र होने के तथ्य को प्रमाणित भी नहीं करवाया गया है। इसी प्रकार प्रदर्श ए–2 हक त्याग का दस्तावेज होना मालूम होता है, जिसको सम्पादित करने से वादिया ने इंकार किया है और यह प्रलेख रजिस्टर्ड भी नहीं है। वादिया स्वर्गीय वजा की पुत्री होकर विधिक उत्तराधिकारी है एवं स्वर्गीय वजा की खातेदारी भूमि प्राप्त करने की अधिकारी है।

उक्त आधारों पर अधिनस्थ न्यायालय ने वादिया/रेस्पोन्डेन्ट का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का खातेदार घोषित करते हुए प्रतिवादी/अपीलान्टगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों की रोशनी में विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं उसके अनुसार भी पैतृक सम्पत्ति में पुत्रियों का जन्म से हक अधिकार माना गया है। तद्नुसार अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26–03–2021 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 07–03–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:01 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम...............उदयपुर.............

व इजलास ....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

मनजी (मृतक) के बजाय शंकर पिता मनजी खांट, जाति मीणा, नि0 पीठ, त.सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर व अन्य

बनाम

श्रीमती पूँजी पुत्री वजा कटारा पत्नि नाथू बरण्डा मीणा, नि. पीठ, तहसील सीमलवाडा, जिला डूंगरपुर व अन्य

अपील नं............8/2021.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी........ .....सीमलवाडा.......... मुकाम...............मुवर्खे.............26...............माह..............03............2021

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........07....माह........03.......सन् 2024 रूबरू........पक्षकारान व हाजरी..........श्री ए. मंसूरी ....मिनजानिब अपीलान्ट व.......श्री डी. सी. चौबीसा ....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26–03–2021 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........07.....माह.......03...........2024 को जारी किया गया ।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोंन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकैन का कुल खर्चा ... का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:35:01 IST
Reason: SelfAttested